

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 78/2016/जयपुर

मैसर्स सुदर्शन एन्टर प्राईजेज,
44, लक्ष्मी मंदिर, आदर्श नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक।
श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.
निर्णय दिनांक : 25.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील विद्वान अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 365/अपील्स-I /आवीएटी/जयपुर/2014-15 पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध पेश की गयी हैं जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत आरोपित कर रूपये 16,02,892/- व ब्याज रूपये 4,57,174/- कुल मांग राशि रूपये 20,60,066/- को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा हारपिक का विक्रय किया जाता है। उक्त विक्रय पर कर निर्धारण आदेश वर्ष 2011-12 में 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। जबकि हारपिक पर अधिनियम के वेट शिड्यूल-V के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य होने के कारण इस विक्रय पर 14 प्रतिशत से कर दायित्व है। उक्त विक्रय पर 5 प्रतिशत से करारोपण किया जा चुका है अतः अन्तर कर 9 प्रतिशत एवं कर बकाया रहने के कारण नियमानुसार ब्याज भी आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।
4. व्यवसायी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलार्थी द्वारा "हारपिक" का व्यवसाय किया जाता है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV की संख्या 21 व 29 के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के अनुसार, व्यवसायी द्वारा पूर्व में भी उक्त वर्गीकृत कर की दर के अनुसार ही, इन वस्तुओं पर, कर अदा किया जाता रहा है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गलत आधार पर किये गये निर्धारण आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि व्यवसायी

लगातार.....2

द्वारा बिक्रीत "हारपिक" नामक उत्पाद राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V की एन्ट्री संख्या 21 व 29 से शासित है और इन पर तदनुसार कर की राशि अदा की जा रही है परन्तु कर की विशिष्ट एन्ट्री से हट कर, आक्षेपित आदेश से "हारपिक" उत्पादों को अनुसूची-V के अनुसार मूल्यांकित करके, कर की दर अधिरोपित की गयी है, जो अविधिक है। राजस्व द्वारा इन उत्पादों को कथित रूप से सफाई प्रदान करने क्लीनिंग एजेन्ट्स रूपी उत्पाद मानकर अविधिक रूप से इन्हें अनुसूची-V के आधार पर करारोपित करने का जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त आदेश की अविधिक तौर पर पुष्टि की है। अतः "हारपिक" नामक वस्तु के संबंध में पारित निर्णय को अपास्त कर, व्यवहारी की अपील स्वीकार की जावें। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन/रेफरेन्स संख्या 11/2012 व अन्य मैसर्स रेकिट बैंकाईजर (इण्डिया) लि0 बनाम सरकार निर्णय दिनांक 07.04.2017 को उद्धरित किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि "हारपिक" उत्पाद "इनसेक्टीसाइड" नहीं होकर, ये "सफाई" के काम में आने वाले उत्पाद है और इसकी पैकिंग पर चिपकाये गये लेबल पर ऐसा ही अंकित है। व्यवसायी द्वारा इस उत्पाद पर सही कर अदा नहीं करके, करवंचना की गयी है और व्यवहारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित उत्पाद "हारपिक" "इनसेक्टीसाइड" नहीं है एवं इस पर अनुसूची-V के अनुसार ही कर का दायित्व बनता है। पेस्टी साइडस जो व्यवहारी ने 5 प्रतिशत करदेयता दर्शाकर, कर जमा कराया है अतः देय कर जमा नहीं करवा कर करवंचना की गई है। अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन/रेफरेन्स संख्या 11/2012 व अन्य मैसर्स रेकिट बैंकाईजर (इण्डिया) लि0 बनाम सरकार निर्णय दिनांक 07.04.2017 में निम्नानुसार आदेश पारित किये है :-

.....Here, in the present case, there are two possible view: either to take the products Harpic and Lizol to be merely stain remover and cleansing agents or as disinfectants and in respect of Dettol, to treat it as a mere toilet preparation or a drug or medicine. Science there are sufficient materials to consider Harpic and Lizol as disinfectants and accordingly, as pesticides, and Dettol as medicament, following the aforesaid principle of law, it can be held that the said products are pesticides and drugs respectively.

39. In view of the aforesaid possible views taken to consider Harpic and Lizol as pesticides and Dettol as a drug, based on material as discussed above, it will not be appropriate to deny their qualification under the aforesaid Entry Nos. 19 and 21 and consign them to the residuary entry. In this connection, we may recollect the observations of the Hon'ble Supreme Court in the Dunlop India Ltd. Vs Union of India, (1976) 2 SCC 241, where the Hon'ble Supreme Court held as :-

35. It is good fiscal policy not to put people in doubt and quandary about their liability to duty. When a particular product like V.P. Latex known to trade and commerce in this country and abroad is imported, it would have been better if the article is, eo nomine, put under a proper classification to avoid controversy

✓

h

over the residuary clause, AS a matter of fact in the Red Book (Import Trade Control Policy of the Ministry of Commerce) under Item 150, in Section II, which relates to "rubber, raw and gutta percha, raw", synthetic latex including vinyl pyridine latex and copolymer of styrene butadiene latex are specifically included under the sub-head "Synthetic Rubber". We do not see any reason why the same policy could not have been followed in the ICT book being complementary to each other. When an article has, by all standards, a reasonable claim to be classified under an enumerated item in the Tariff Schedule, it will be against the very principle of classification to deny it the parentage and consign it to an orphanage of the residuary clause. The question of competition between two rival classifications will, however, stand on a different footing.

36. It is not for the Court to determine for itself under Article 136 of the Constitution under which item a particular article falls. It is best left to the authorities entrusted with the subject. But where the very basis of the reason for including the article under a residuary head in order to charge higher duty is foreign to a proper determination of the kind, this Court will be loath to say that it will not interfere."


41. In the light of the above discussions, we are of the view that these petitions should be allowed and the products Harpic and Lizol having been declared to be pesticides as discussed above, would be liable to tax under Entry No.19 of the Part A of the Second Schedule of the Assam VAT Act and Dettol would be liable to be assessed as an item under Entry 21 of the Fourth Schedule of the Assam VAT Act and will not fall within the excluded category under the Explanation.


29. Taking into aforesaid, in my view, the claim of the assessee that the products being sold by the assessee would fall in Entry 21 or 29 of the Act as the case made be is well reasoned and justified and the authorities were unjustified in taking it under the residuary Schedule (V). The claim of the assessee is just and proper.

अतएव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त नवीनतम निर्णय में दी गई व्यवस्था के अनुरूप उक्त विवादित उत्पाद अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 21 अथवा 29 से आच्छादित है एवं तदनुरूप इन पर करदेयता तत्समय की दर 5 प्रतिशत ही रहेगी। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर राशि व आनुषांगिक ब्याज राशि अपास्तनीय पाई जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था के आलोक में विधिनुकूल नहीं पाया जाता है।

माननीय न्यायालयों के उपरोक्त निर्णय के विवेचनानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


25.5.2017
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष